

18.02.2024 पत्रावली पेश। चूंकि मूल दावा अदिपे  
अदम हाजिरी, अदम पैरवी में खारिज  
क्रिया का नूका है अतः प्राथम-पत्र  
वलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है  
इसलिए प्राथम-पत्र को भी इसी स्तर  
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल  
सुमार लेकर व नम्बर के क्रम की जाका  
डाबिल करार है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

